



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2013/पौष 17, 1934

No. 69]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2013/PAUSA 17, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2013

का.आ. 73(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 196 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 19 जनवरी, 2009 को प्रकाशित की गई थी, में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

(क) उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, प्रविष्टि "विशेष उप-कलक्टर (एलए), पीएसवीपी की यूनिट-V, ओंगोल" के स्थान पर प्रविष्टि "विशेष कलक्टर (एलए), पीएस वेलिगोंडा परियोजना, ओंगोल" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. 11078/पीआईयू/V/भारतप्रा/2012]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2013

S.O. 73(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 196(E), dated the 19th January, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th January, 2009, namely :—

(a) In the 1st para of the said notification, for the entry "Special Deputy Collector (LA), Unit-V of PSVP, Ongole", the entry "Special Collector (LA), P.S. Veligonda Project, Ongole" shall be substituted.

[F. No. 11078/PIU/V/NHAI/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना का.आ. 196 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2009, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 19 जनवरी, 2009 में प्रकाशित की गई थी, और अनुपूरक संशोधन का.आ. 1662 (अ), तारीख 8 जुलाई, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 8 जुलाई, 2009 को किया गया था

Foot Note :— The Principal notification was published vide S.O. 196 (E), dated the 19th January, 2009 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th January, 2009 and supplementary amended vide notification No.S.O. 1662 (E) dated 8th July, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 8th July, 2009.